न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

(61)

निगरानी प्रकरण कमांक 2379–पीबीआर/2016 विरूद्ध सूचना पत्र दिनांक 14–7–2016 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत – 3/4 संयोगितागंज, इंदौर, सूचना पत्र कमांक क्यू/रा.नि./सीमांकन/15–16

.....

1–लाखनसिंह पिता श्री रामेश्वरजी पटेल,
2–राधेश्याम पिता रामेश्वरजी पटेल
3–विशाल पिता श्री जगदीश जी पटेल
4–हिमांशु पिता श्री जगदीशजी पटेल
सभी निवासी ग्राम भिचौली मर्दाना तहसील व
जिला इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

मनीष पिता श्री आनंदरामजी चौथवानी
निवासी 99 विद्या नगर इंदौर म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 17/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत – 3/4 संयोगितागंज, इंदौर द्वारा जारी सूचना पत्र दिनांक 14–7–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक मनीष द्वारा प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख जिला इंदौर के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम भिचौली मर्दाना तहसील व जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 101/3/1/4 रकबा 0.385 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रभारी अधिकारी द्वारा सीमांकन दल का गठन किया जाकर श्री सुबोध टेनी, राजस्व निरीक्षक, श्री रविन्द्र मण्डलोई, राजस्व निरीक्षक, श्री राजेश सरवटे, राजस्व निरीक्षक

एवं पटवारी हल्का को सीमांकन दल में सम्मिलित किया गया । तद्नुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 14–7–2016 को प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन दिनांक 20–7–2016 को किये जाने संबंधी सूचना पत्र जारी किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सूचना पत्र के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक की भूमि के समीप आवेदकगण की भूमि सर्वे कमांक 101/4 स्थित है, परन्तु आवेवकगण को बिना सूचना दिये कुछ सह भूमिस्वामियों को सूचना देकर सीमांकन की कार्यवाही की जा रही है, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत सह–भूमिस्वामियों को सूचना देना आवश्यक है एवं समीपस्थ भूमिस्वामियों का विवरण एवं लगे हुये सर्वेक्षण संख्याकों, उपखण्डों एवं भूखण्डों को प्रदर्शित करने वाले विवरण की जानकारी देना भी आवश्यक है, यह जानकारी भी नहीं दी गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वे कमांक 101/3/3 व सर्वे कमांक 101/3/1/4 पर विधिवत् बटांकन स्वीकृत नहीं हुआ है और बिना बटांकन स्वीकृत हुये प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन नहीं किया जा सकता है । उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा जारी सूचना पत्र निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा सभी समीपस्थ भूखण्डों के भूमिस्वामियों को सूचना पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें दिनांक 11–7–2016 को सीमांकन की तिथि नियत की गई और दिनांक 11–7–2016 को सीमांकन नहीं होने की स्थिति में पुनः दिनांक 20–7–2016 को सीमांकन किये जाने का सूचना पत्र जारी किया गया है।

(2) अनावेदक की भूमि का सीमांकन किये जाने से आवेदकगण के कोई हित प्रभावित नहीं हुये हैं ।

(3) आवेदकगण द्वारा सूचना पत्र के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने से स्पष्ट हैं कि सीमांकन की जानकारी आवेदकगण सहित समीपस्थ

कृषकों को है और वे सीमांकन में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, अतः यह निगरानी प्रीमैच्योर होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) आवेदकगण की ओर से निगरानी में जो आधार लिया गया है वह इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं है और प्रश्नाधीन भूमि का बटांकन बहुत पहले ही स्वीकृत हो चुका है, जिसे आवेदकगण की ओर से कहीं भी चुनौती नहीं दी गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी द्वारा विधिवत् अनावेदक की भूमि के सीमांकन हेतु सीमांकन दल का गठन किया गया और उसके पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन हेतु विधिवत् सूचना पत्र जारी किया गया है । आवेदकगण की ओर से सूचना पत्र के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने से यह तथ्य प्रमाणित है कि प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन किये जाने की जानकारी आवेदकगण को है, ऐसी स्थिति में आवेदकगण को सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करना चाहिये थी, जो नहीं कर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । इस संबंध में अनावेदक के इस तर्क में पूर्ण बल है कि आवेदकगण को सीमांकन कार्यवाही में आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है, इसलिये इस न्यायालय में प्रस्तुत यह निगरानी प्रीमैच्योर है । वर्णित परिस्थितियों में राजस्व निरीक्षक द्वारा की जा रही सीमांकन कार्यवाही वैधानिक एवं उचित होने से उनके द्वारा जारी सूचना पत्र हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर